

पत्रांक: CCE/ P&C/ ISDC/ Arjun Drishti/2019/ 812;

Date: 28 May 2019

### कार्यालय आदेश

राजकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों में क्रीड़ा एवं खेलकूद अभिरुचि विकास तथा उन्हें राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों की सफलता की दृष्टि से महाविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिलवाये जाने की व्यवस्था प्रारम्भ करवाई जानी है।


इस प्रयोजनार्थ आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान की ओर से क्रीड़ा एवं खेलकूद अभिरुचि विकास हेतु अर्जुन दृष्टि क्रीड़ा एवं खेलकूद कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। प्रारंभिक चरण में निम्न 14 राजकीय महाविद्यालयों को खेलकूद एवं क्रीड़ा विकास हेतु महाविद्यालय में अध्ययनरत तथा यथा स्थान उपलब्ध अन्य युवाओं को प्रशिक्षण दिलवाने हेतु क्षेत्रीय विशेषताओं अनुसार खेलकूद हब बनवाये जाने की योजना है।

1. राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
2. राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर
3. राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर
4. महारानी सूरदर्शना राजकीय महाविद्यालय, बीकानेर
5. राजकीय महाविद्यालय, बूंदी
6. आर. आर. महाविद्यालय, अलवर
7. बाबू शोभाराम राजकीय महाविद्यालय, अलवर
8. रामेश्वरी देवी कन्या राजकीय महाविद्यालय, भरतपुर
9. राजकीय महाविद्यालय, बांसवाड़ा
10. राजकीय कन्या महाविद्यालय, भीलवाड़ा
11. पी.एन.के. राजकीय महाविद्यालय, दौसा
12. राजकीय महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़
13. राजकीय लोहिया महाविद्यालय, चूरू
14. राजकीय महाविद्यालय, श्रीगंगानगर

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के स्तर पर इस परियोजना अर्जुन दृष्टि क्रीड़ा एवं खेलकूद कार्यक्रम को विशेष अभियान के रूप में संचालित एवं समन्वय करने का दायित्व नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ रहेगा। इस परियोजना के आयुक्तालय स्तर पर समन्वय हेतु निम्न अधिकारियों की समिति गठित की जाती है -

1. डॉ. जयदीप सिंह, सह-आचार्य
2. डॉ. विनोद भारद्वाज, सह-आचार्य


उक्त दोनों अधिकारी इस प्रयोजनार्थ अविलम्ब कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए इस परियोजना को जून 2019 में समर कैम्प 2019 कौशल उन्नयन प्रोग्राम में भी आरम्भ करवाने की दृष्टि से प्रक्रिया करावें।

  
प्रदीप कुमार बोरड़ IAS  
आयुक्त कॉलेज शिक्षा एवं  
विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा राजस्थान

CCE/P&C/ISDC/ Arjun Drishti/2019/ 813-14; Date: 28 May, 2019

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, आकाशि, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक HRD/ PI/P&C/ Acad./ Admn./RUSA आकाशि, जयपुर।
7. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
8. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कालेज शिक्षा, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर एवं भरतपुर।
9. संबंधित महाविद्यालयों के प्रभारी अधिकारी, कालेज समूह, आकाशि, जयपुर।
10. संबंधित अधिकारीगण।
11. वैब प्रभारी, आकाशि को वैबसाइट पर अपलोड करने एवं संबंधितों को ई-मेल करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

  
डा. विनोद कुमार भारद्वाज  
प्रभारी अधिकारी,  
नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ